नाम न्यायालय

केस संख्या 131/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		17/7/19 को जरिये तामील हुई किन्तु उपस्थित नहीं। इनके इन्तजार हेतु अन्तिम अवसर व जवाब/बहस हेतु पत्रावली दिनांक 18/7/19 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)
	18/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। जवाब बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/19 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)
	24/7/19	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता संघ द्वारा कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/7/19 पेश हुई।	
	25/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रा० पत्र 0 1 नि० 7 सि० पी० सी० का पेश किया। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब/बहस दिनांक 30/7/19 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)
	30/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब/बहस हेतु दिनांक 31/7/19 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी (जयपुर)
	31/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा० पत्र 0 R 10 CPC पर व प्रार्थना पत्र धारा 128 LR Act पर बहस उभय पक्षों की सुनी गई।	

संख्या 131/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 0 1 R 10 CPC एड० श्री धर्मवीर सिंह राजावत ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में मि० प्रार्थी कालूराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जबकि मि० कालूराम उक्त वादग्रस्त भूमियों में ख० नं० 111/1 व 114 का खातेदार है तथा ख० नं० 111/1, 111/2, 111/3 पूर्व में ख० नं० 111 का विभाजन होकर बनाये गये है प्रार्थी को विधिक पक्षकार बनाया जावे। अप्रार्थी / प्रार्थी वकील श्री सत्यपाल शर्मा ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मेरी खातेदारी कास्त काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थी कालूराम का कोई हक अधिकार नहीं है। कालूराम को पक्षकार नहीं बनाया सकता है। इसलिये प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। उभय पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसमें कालूराम का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र 0 1 R 10 CPC को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी स० 2 व 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित इसलिये इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।	

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर)

फर्द अहकाम

आशादेवी बनाम रामफूल वगै.

नाम न्यायालय

केस संख्या 131/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		प्रार्थना पत्र धारा 128 LR Act पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR. Act को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया जाएगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
... (जयपु...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 15:13:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: